

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक: 129 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 4, जुलाई, 2024।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:-

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के सुकौली से मछीनाखोली कनारी विषाड़ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.81 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ -

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 855/X-3-20/1(91)/2020 दिनांक 07.08.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है-

क्रम सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 1,33,100.00 मात्र जमा कर दी गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०पी०सी० -566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०पी०सी० -566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि रु० 5,32,170.00 मात्र जमा कर चालान रसीद संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर से बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (प्रपत्र संलग्न)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या -05-03/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं० एस०बी० -25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक -11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलेक्स फेज-01 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशिकर मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के अअस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन०पी०वी० तथा प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छाया प्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	भू-वैज्ञानिक की शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रपत्र संलग्न।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

संलग्न:- यथोक्त।

अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांक:- 129 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कुकोली - प्रान्तीय गतिविधि की नगरी विषय

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-07-2023

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6142150020
MoEF/SG File No.	1(95)/2020
Location.	UTTARANCHAL,
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501Pithoragarh
Amount(in Rs)	665270/-

Amount in Words :Six Lakh Sixty-Five Thousand Two Hundred and Seventy Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896142150020 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challa even after 7 working days, then kindly mail a copy of yo id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ur ubin0903710@unionbankofindia.bank

① Cheque No 956828 dated 26.6.23 ₹ 133100.00

② Cheque No 956828 dated 26.6.23 ₹ 532170.00

665,270.00

Rs. 665270/-

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0धि
पिथौरागढ़



प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 07 जुलाई, 2020

विषय: जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र के सुगौली चमाली रोड से मछीनाखोली कनारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

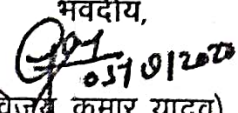
उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-105/FP/UK/ROAD/42088/2020 दिनांक 10 जुलाई, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र के सुगौली चमाली रोड से मछीनाखोली कनारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०पी०सी०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

पिथौरागढ़

31/07/2020

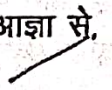
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार यादव)
उपर सचिव।

संख्या: (1)/X-3-20/1(91)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद-पिथौरागढ़।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

परियोजना विवरण :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ से मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.360 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.450 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.810 हे० वन भूमि) का प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 21-11-2008 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी. रविशंकर जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सी. रविशंकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अध्यक्ष
- 2- श्री ~~सिद्धेश्वर शर्मा~~ प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
- 3- श्रीमति मंजूला देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह ग्राम सिर्दाग धारचूला जिला पंचायत सदस्य
- 4- श्री कमलेश आर्या पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम जैती विकास खण्ड मुनस्यारी जिला पंचायत सदस्य
- 5- श्री अमर बहादुर चन्द पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द ग्राम दुतीबगड जौलजीवी विकास खण्ड धारचूला जिला पंचायत सदस्य
- 6- श्री ~~सुनील शर्मा~~ जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य/सचिव

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ से मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु 0.810 हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई गामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जिला पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.810 हे० वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़

जिला सचिव
पिथौरागढ़

पिथौरागढ़

पिथौरागढ़

जि० पं० सदस्य
सिर्दाग 01

प्रारूप-30
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
No---

Office of the District Collector Pithoragarh

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

Dated-21.8.2018

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.810 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Work Department** for in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Bisar (Machinakholi , Kanari) village (s) in Bin (Pithoragarh) tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.810 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


(Full name and official seal of the District Collector) Signature

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **G. Ravi Sankar** deputy commissioner, **Pithoragarh** on dated **11.8.18** at time **4.00 P.M.** at **P.M.** in which application claiming rights in..... area measuring 0.810 hect for the construction of **Bisar (Machinakholi, Kanari)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bin (Pithoragarh)** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: **Pithoragarh.**
Dated: **11.8.18**
Chairman

Deputy Commissioner-cum-

District Level Committee

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ मछीनाखोली कनारी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.360 हे० सिविल (प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार) की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 23-06-2018 के सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2005 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री मनोहर कुमार चौधरी उप जिलाधिकारी
- 2- श्री मनोहर चौधरी उप प्रभागीय वनाधिकारी
- 3- श्री किशोर सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री अनीता देवी बी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य
- 5- श्रीमती सुशीला देवी बी०डी०सी० क्षेत्र गोगना सदस्य
- 6- श्री राजेन्द्र सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र खतीगांव तल्लीसर सदस्य
- 7- श्री ललित प्रसाद बी०डी०सी० क्षेत्र उपरतोला सदस्य
- 8- श्रीमती बिन्दू देवी बी०डी०सी० क्षेत्र निशनी सदस्य
- 9- श्री मनोज धपोला बी०डी०सी० क्षेत्र दियूड़ी सदस्य
- 10- श्रीमती शकुन्तला देवी ग्राम बुडौली
- 11- श्रीमती निर्मला देवी ग्राम जजुराली
- 12- श्रीमती सुनीता देवी ग्राम सौड़लेख
- 13- श्रीमती भागीरथी देवी ग्राम जीवी
- 14- श्री महेश ग्राम भडकटिया

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु 0.810 हे० वन भूमि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु 0.810 हे० वन भूमि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
जनपद पिथौरागढ़

उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़

शकुन्तला देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
भरमनी, पिथौरागढ़

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड से मछीनाखोली कनारी विभाग तक मोटर मार्ग का नद निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम विष्ठाड़ (मछीनाखोली, कनारी)
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड से मछीनाखोली कनारी विभाग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि 0.360 हे० सविल सोयम भूमि 0.450 हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.81 हे० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत विष्ठाड़ द्वारा दिनांक 12-05-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रा० ख० लो० नि० वि० पिथौरागढ़ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

मुहर सहित

ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित



जनपद - पिथौरागढ़
विष्ठाड़
विभाग

12-05-2018

तहसील
पिथौरागढ़

दिनांक 12/06/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	ग्राम पंचायत विषाड (महीनाभोली, कनारी)
1-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
2-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
3-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
4-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
5-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
6-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
7-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
8-	जयमाला शर्मा	Jaymala
9-	चन्द्रकला शर्मा	चन्द्रकला
10-	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
11-	माया देवी	माया देवी
12-	पुष्पा शर्मा	पुष्पा शर्मा
13-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
14-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
15-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
16-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
17-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
18-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
19-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
20-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
21-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
22-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
23-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
24-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
25-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त
26-	श्री गुरु दत्त शर्मा	गुरु दत्त

ग्राम सभा अध्यक्ष

ह0/-
ग्राम प्रधान



योजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड से खोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के साथ संलग्न किया जाना है।

1 है० से कम भूमि प्रभावित होने के कारण लागू नहीं है।

क अभियन्ता
खण्ड त्तो०नि०वि०
पिथौरागढ़

अधिसूचना
प्रान्तीय सभा त्तो०नि०वि०
पिथौरागढ़

अधिसूचना
प्रान्तीय सभा त्तो०नि०वि०
पिथौरागढ़

वन क्षेत्र अधिकारी
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ से मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

11/2/21

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित शून्य स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी

मल क्षेत्राधिकारी
पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड़ से मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रारूप-27

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड से मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

(नोट:-लागू होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न की जाय।)

लागू नहीं है।

अध्यक्ष अभियन्ता
जनपद लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

अधिसूची अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चगाली रोड से मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
- (iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
- (v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads, these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा है।

अधिकांसी अभियन्ता
प्रान्तीय सड़क विभाग
पिथौरागढ़ जिला

प्रारूप-34

योजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड से
 होनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अधिसू. अभियन्ता
 प्र. वि. स. ए. (नि. वि.)
 पिथौरागढ़

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड से गछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

अधिकांशी अभियन्ता
प्रान्तीय स्तर परियोजनाएँ
प्रयोक्ता प्रोजेक्ट

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड से
सुगौली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत
श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़


अधिरात्री अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

परियोजना विवरण :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली बमाली रोड से मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु मानक शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

अधीनस्थ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

प्रारूप-51

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सुगौली चमाली रोड से मछीनाखोली कनारी विषाण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड स्लो0नि0वि0
पिथौरागढ़


अधिसूचना अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड स्लो0नि0वि0
प्रयोक्ता पिथौरागढ़